(10)

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:– लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 257/2022
पांशु सांगवान, ग्राम झाडका, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर, पिन कोड 301403, मो0न0 9636093759

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं।

— —

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

आदेश

दिनांक 03.08.2022

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 20.07.2022 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 257/2022 पर दिनांक 20.07.2022 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2022/3623–24 दिनांक 20.07.2022 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं ने पत्रांक एफ 16(4)(5) न्याय/सू0अ0 /22/992 दिनांक 29.07.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी दीपांशु सांगवान, ग्राम झाडका, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर का आवेदन पत्र इस कार्यालय मे दिनांक 19.04.202 को प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचना के संबंध मे इस कार्यालय के पत्रांक एफ 16(4)(5) न्याय/सू0अ0/09/154 दिनांक 22.04.2022 के द्वारा अति0 जिला कलक्टर, झुंझुनूं को नियमानुसार प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र भिजवाया गया है। अति0 जिला कलक्टर झुंझुनूं ने अपने पत्र क्रमांक 306 दिनांक 01.06.2022 के द्वारा अपीलार्थी को सूचित किया कि आप द्वारा चाही गई सूचना न्यायालय की पत्रावलियों से संबंधित है जिनकी नकल सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अन्तर्गत नही दी जा सकती है। न्यायालय सूरजगढ की धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की सभी पत्रावलियां वापस उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ को भिजवा दी गई है। अतः आप साधारण नकल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ से उक्त पत्रावलियों के संबंध मे नकल प्राप्त कर सकते है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नही।
6. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं ने पत्रांक एफ 16(4)(5) न्याय/सू0अ0 /22/992 दिनांक 29.07.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी दीपांशु सांगवान, ग्राम झाडका, तहसील कोटकासिम, जिला अलवर का आवेदन पत्र उनके कार्यालय मे दिनांक 19.04.202 को प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचना के संबंध मे उनके कार्यालय के पत्रांक एफ 16(4)(5) न्याय/सू0अ0/09/154 दिनांक 22.04.2022 के द्वारा अति0 जिला कलक्टर, झुंझुनूं को नियमानुसार प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र भिजवाया गया है। अति0 जिला कलक्टर झुंझुनूं ने अपने पत्र क्रमांक 306 दिनांक 01.06.2022 के द्वारा अपीलार्थी को

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.08.10 17:26:14 IST
Reason: SelfAttested

11

सूचित किया कि आप द्वारा चाही गई सूचना न्यायालय की पत्रावलियों से संबंधित है जिनकी नकल सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अन्तर्गत नही दी जा सकती है। न्यायालय सूरजगढ की धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की सभी पत्रावलियां वापस उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ को भिजवा दी गई है। अतः आप साधारण नकल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ से उक्त पत्रावलियों के संबंध मे नकल प्राप्त कर सकते है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।

7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 03.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुंझुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.08.10 17:26:14 IST
Reason: SelfAttested